भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways Govt. of India)
परियोजना कार्यालय / Project Office
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, एस–8/108, एफ–4, डी.आई.जी. कालोनी, मकबूल आलम रोड, वाराणसी–221002 (उ0प्र0)
Project Implementation Unit S-8/108, F-4, D.I.G. Colony, Moqbool Alam Road, Varanasi-221002 (U.P.)

दूरभाष / Phone : 91-542-2501003
टेलीफैक्स / Fax : 91-542-2501002
ई–मेल / E-mail : var@nhai.org
वेबसाइट / Website : www.nhai.org

11015/5/वाराणसी/एन. एच. 7 /2018–19/29803 दिनांक: 24.05.2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग मिर्जापुर,
मिर्जापुर ।

विषयः वाराणसी–हनुमना रोड़ एन0 एच0–7 (पैकेज 2 एवं 3 डगमगपुर से हनुमना किमी0 49.100 से 140.200 तक) चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं डाइवर्जन से प्रभावित 18.0895 हे0 आरक्षित, 113.6300 संरक्षित कुल 131.7195 हे0 वन भूमि पर स्थिति 10461 वृक्षों के पातन की अनुमति एवं वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः

1. इस कार्यालय का पत्र संख्या 11015/1/VNS/NH-7(Forset)/2017-18/28501 दिनांक 09.02.2018
2. आपका पत्र संख्या 3583/मिर्जापुर/33 दिनांक 12.02.2018
3. मेसर्स राईस लि0 का ईमेल दिनांक 15.05.2018

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र संख्या 1 के द्वारा भा0रा0रा0प्रा0 के कार्यालय से वन भूमि पर स्थिति वृक्षों के पातन एवं वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु (सड़क निर्माण हेतु) वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव आपके कार्यालय को अनुमति हेतु भेजा गया था। उक्त प्रस्ताव पर आपके कार्यालय के संदर्भित पत्र –2 के माध्यम से 20 बिन्दुओं पर आपत्ति लगाई गयी थी।

उक्त आपत्तियों के निस्तारण हेतु इस कार्यालय द्वारा डी.पी.आर. कंसल्टेंट मेसर्स राईट्स लि0 को प्रेषित किया गया था, जिसका निस्तारण, करते हुए मेसर्स राईट्स ने संदर्भित ईमेल संख्या –3 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है, जो पत्र के साथ आपको अवलोनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु संलग्न है।

उक्त के आलोक में आपसे अनुरोध है कि, वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर स्थिति वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में आप अपने स्तर से अग्रेतर कार्यवाही शीघ्र करने का कष्ट करें।

परियोजना निदेशक

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक 3583 / मीरजापुर / 33, ,दिनांक, मीरजापुर, फरवरी, 12, ,2018।

सेवा में,

श्री के०सी० वर्मा
प्रबन्धक (तकनीकी),
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधिकरण,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, एस–8 / 108, एफ–4, डी०आई०जी० कालोनी,
मकबूल आलम रोड़, वाराणसी–221002 (उ०प्र०)।

वाराणसी–हनुमना रोड़ एन०एच०–7 (पैकेज 2 & 3 डगमगपुर से हनुमना कि०मी० सं०–49.100 से 140.200 तक) चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं डाइवर्जन से प्रभावित 18.0895 हे० आरक्षित, 113.6300 संरक्षित कुल 131.7195 हे० वन भूमि पर स्थिति वृक्षों के पातन की अनुमति एवं वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति प्रस्ताव।

संदर्भ– आपका पत्रांक–11015 / 1/VNS/NH-7(Forest)/2017-18/28501 Dated 09-02-2018 .

महोदय,

वाराणसी–हनुमना रोड़ एन०एच०–7 (पैकेज 2 & 3 डगमगपुर से हनुमना कि०मी० सं०–49.100 से 140.200 तक) चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं डाइवर्जन से प्रभावित 18.0895 हे० आरक्षित, 113.6300 संरक्षित कुल 131.7195 हे० वन भूमि पर स्थिति वृक्षों के पातन की अनुमति एवं वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति प्रस्ताव आपके पत्रांक–11015 / 1/VNS/NH-7(Forest)/2017-18/28501 Dated 09-02-2018 द्वारा पॉच प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। उक्त प्रेषित प्रस्ताव का कार्यालय मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक 17 / 11–सी–लखनऊ दिनांक 04.07.2017 (प्रति संलग्न) के साथ संलग्न दिशानिर्देश के अनुसार मिलान करने पर प्रस्ताव में निम्न कमियां पायी गयी।

1– आपके संदर्भित पत्र में वाराणसी – हनुमना एन०एच०–7(पैकेज 2 & 3) डगमगपुर से हनुमना चैनेज किमी० सं० 49.100 से 140.200 हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु उल्लिखित है। जबकि आप द्वारा प्रेषित आनलाइन प्रस्ताव में चन्दौली से हनुमना एन०एच०–7 किमी० सं० 15.100 से 140.200 का उल्लेख किया गया है उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध करावें।

2– प्रस्ताव 6 प्रतियों में उपलब्ध करावें।

3– चेकलिस्ट के अनुसार याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र जिसमे स्पष्ट उल्लेख हो कि परियोजना में दर्शित वन भूमि के अतिरिक्त और कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है, तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

4– यदि भूमि लीज पर दी जानी हो तो लीज अवधि प्रमाण पत्र तथा जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित वन भूमि का मूल्य, लीज रेन्ट व प्रीमियम का निर्धारण।

5– प्रस्तावित वन भूमि हस्तानांतरण से सम्बन्धित लैण्ड शैड्यूल

6– प्रभावित होने वाले बृक्षों की संख्या, प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम एवं व्यास वार उसका मूल्य जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।

7– परियोजना में पातित होने वाले बृक्षों की गणना एवं पातन किये जाने वाले बृक्षों की सूची वैज्ञानिक नाम एवं व्यासवार सहित।

8– प्रस्तावित निर्माण कार्य से लाभान्वित होने वाले ग्रामों, परिवारों एवं जनसंख्या का विवरण।

9– भूमि की भू–गर्भीय संरचना का भू–गर्भ शात्री का प्रमाण पत्र।

10– योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की संस्तुतियों के मान्य होने का प्रमाण पत्र।

11– जिस परियोजना का अनुमोदन उत्तर प्रदेशा शासन व भारत सरकार के पर्यावरण विभाग से आवश्यक हो उस अनुमोदन का प्रमाण पत्र।

12– प्रभावित संरक्षित वन भूमि के बदले दुगुने अवनत वन भूमि पर क्षति पूरक बृक्षारोपण हेतु जियो रिफरेन्स्ड डिजिटल मैप जो KML SHP फाइल में हो तथा सी.डी. सहित।

13– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित व चिन्हित 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र क्षति पूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तावित गैर भूमि का विवरण।

14– भूमि स्वामित्व वाले विभाग (लो.नि.वि.) का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

15– वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 03.08.2009 को निर्गत पत्र के अनुसार सम्बन्धित ग्राम सभाओं, उपजिलास्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति से पारित मूल प्रस्ताव तथा निर्धारित प्रारूप में जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र एवं तिथि सहित हस्ताक्षर कर्ता का नाम तथा भारत सरकार की गाईड लाइन दिनांक 28.10.2014 के नवीन दिशा निर्देशों के अनुरूप वन अधिकारी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र।

16– पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

17– मार्ग चौडीकरण का स्टैण्र्ड कास सेक्शन (liner Plan) दिया जाए जिसमें वर्तमान ROW तथा प्रस्तावित ROW का माप दर्शार्या गया हो तथा तालिका स्वरूप में सड़क के किनारे पौधा रोपण के लिए जगह की उपलब्धता का विस्तृत विवरण।

18– मलबा उत्सर्जन का विवरण, इसका निस्तारण एवं Reclamation Plan जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।

19– गैर वन भूमि पर किये जाने वाले मलबा निस्तारण के लिए भूमि स्वामित्व का सहमति पत्र।

20– कमानुसार अंकित पृष्ठ संख्या के साथ पृष्ठ तालिका की सूची।

अतः अनुरोध है कि किसी भी कार्यालय दिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि को भेज कर पूर्व प्रेषित प्रस्ताव प्राप्त कर लें तथा उपरोक्त कमियों का तीन दिवस के अन्दर निस्तारण कर अपेक्षित अभिलेख/सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें आवश्यकतानुसार अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से अपेक्षित सहयोग प्राप्त कर प्रस्ताव पूर्ण करावें ताकि प्रस्ताव उच्च स्तर को स–समय अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा सकें, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या 17/11–सी–लखनऊ दिनांक 04.07.2017 के साथ संलग्न दिशा निर्देश की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राकेश चौधरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर

संख्या– अ/समदिनांक

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– जिलाधिकारी, मीरजापुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(राकेश चौधरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324035
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) golmoeflko@gmail.com

पत्रांक–11/मि०ओ०/610/2010–17/यू०पी०/राज०/दिल्ली/111/37– दिनांक– 23.06.2017

सेवा में,
मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ

प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (हॉफ),
वन विभाग, अरण्य भवन,
झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान

विषय–वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत भेजे गये प्रस्ताव में कमियों के कारण स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब।

संदर्भ– इस कार्यालय का पत्रांक– 11/मि०ओ०/610/2010/उ०प्र०, राज०, दिनांक– 10.04.2014

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा राज्य सरकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्ताव में निरन्तर एक जैसी त्रुटियां पायी जा रही थी एवं वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव प्रभागीय वनाधिकारी, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के स्तर से बिना परीक्षण किये इस कार्यालय को अग्रेषित कर दिये जाते हैं, जिस कारण प्रस्ताव में पाये जाने वाली त्रुटियों को सही करने के लिए राज्य सरकार से बार–बार पत्राचार करना पड़ता है जिससे प्रस्ताव की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब होता है।

अतः प्रस्तावों में सामान्यतः पायी जाने वाली त्रुटियों की बिन्दुवार सूची उपरोक्त संदर्भित पत्र के साथ संलग्न कर राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि उक्त बिन्दुवार त्रुटियों के अनुसार संबंधित सूचनाएं प्रस्ताव में सही करते हुए प्रस्ताव को अपने स्तर पर परीक्षण कर इस कार्यालय को प्रेषित किया जाए।

परन्तु अभी भी यह पाया गया है कि वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्तावों एवं मांगी गयी सूचना की अनुपालन आख्या में निरन्तर वही गलतियों की पुनरावृत्ति हो रही है एवं प्रस्ताव की स्वीकृति में अनावश्यक पत्राचार के कारण विलम्ब हो रहा है।

इस संबंध में आपसे पुनः अनुरोध किया जाता है कि भविष्य में जब भी कोई प्रस्ताव भेजना हो, तो उसे स्तर पर भली भांति परीक्षण के बाद ही भेजा जाए और उपरोक्त संदर्भित पत्र के साथ संलग्न सूची (छायाप्रति संलग्न) में दर्शायी गयी किसी भी कमी/त्रुटि की पुनरावृत्ति न हो ताकि कम से कम समय में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जा सके।

यदि भविष्य में वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्ताव में इस पत्र के साथ संलग्न सूची में दर्शायी गयी किसी भी कमी/त्रुटि की पुनरावृत्ति की जाती है तो प्रस्ताव राज्य सरकार को वापस कर दिया जाएगा और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार/प्रयोक्ता अभिकरण की होगी।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(डी० के० सिंह)
अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (के०)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक– 17 /11–सी– ; लखनऊ, दिनांक: जुलाई 04, 2017

प्रतिलिपि– 1–समस्त मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक एवं समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश को संलग्नक सहित इस आशय से प्रेषित कि वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 के अन्तर्गत गैरवानिकी प्रयोग विषयक प्राप्त प्रस्तावों की संलग्न बिन्दुवार त्रुटियों के अनुसार सम्बन्धित सूचनायें प्रस्ताव में सही करते हुए, प्रस्ताव को अपने स्तर पर परीक्षण कर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

प्रतिलिपि–2–समस्त क्षेत्रीय प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, उत्तर प्रदेश को संलग्नक सहित इस आशय से प्रेषित कि वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 के अन्तर्गत गैरवानिकी प्रयोग विषयक प्राप्त प्रस्तावों की संलग्न बिन्दुवार त्रुटियों के अनुसार सम्बन्धित सूचनायें प्रस्ताव में सही करते हुए, प्रस्ताव को अपने स्तर पर परीक्षण कर सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक के माध्यम से ही प्रेषित करें।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव में संलग्न होने वाले आवश्यक प्रमाण–पत्रों की सूची

1-- 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र जिसमें परियोजना क्षेत्र के आस–पास वन क्षेत्र का सीमांकन वन ब्लाक, कम्पार्टमेन्टवार दर्शित किया गया हो। वैकल्पिक सरेखण, इन्डेक्स एवं शीर्षक सहित।

2-- याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण–पत्र जिसमें स्पष्ट उल्लेख हो, कि परियोजना में दर्शित वन भूमि के अतिरिक्त और कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

3-- भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तिथि सहित हस्ताक्षरकर्ता का नाम।

4-- यदि भूमि लीज पर दी जानी हो, तो लीज अवधि प्रमाण–पत्र तथा जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित वन भूमि का मूल्य, लीज रेन्ट व प्रीमियम का निर्धारण।

5-- प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति हेतु समतुल्य गैर वनभूमि वन विभाग को उपलब्ध कराने की वचनबद्धता/विवरण एवं उस पर 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन।

6-- प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैण्ड शैड्यूल एवं बारचार्ट (सड़क के लिए)।

7-- परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश/आदेश।

8-- प्रस्तावित परियोजना वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य (जस्टिफिकेशन नोट) प्रमाण पत्र।

9-- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या, प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम एवं व्यासवार उसका मूल्य, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।

10-- पारेषण लाईन में आने वाले वृक्षों की गणना एवं पातन किये जाने वाले वृक्षों की अलग सूची, वैज्ञानिक नाम एवं व्यासवार सहित।

11-- प्रस्तावित निर्माण कार्य से लाभान्वित होने वाले ग्रामों, परिवारों एवं जनसंख्या का विवरण।

12-- भूमि की भू–गर्भीय संरचना का भूगर्भ शास्त्री का प्रमाण–पत्र।

13-- योजना आयोग द्वारा गठित "टास्क फोर्स" की संस्तुतियों के मान्य होने का प्रमाण–पत्र।

14-- जिस परियोजना का अनुमोदन उत्तर प्रदेश शासन व भारत सरकार के पर्यावरण विभाग से आवश्यक हो, उस अनुमोदन का प्रमाण–पत्र।

15-- वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन भारत सरकार द्वारा लगाई गयी मानक शर्तो के मान्य होने का प्रमाण–पत्र।

16-- परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित सूचना 20 हे0 से अधिक के प्रस्ताव में।

17-- प्रस्तावित वनभूमि का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Refferenced Digital Map जो kml shp file में हों तथा सी0डी0 सहित।

18-- प्रभावित संरक्षित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन।

19-- क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन (रिटेल आउटलेट हेतु)।

20-- प्रस्तावित वनभूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने (मुख्यतः औषधीय) पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक अनुरक्षण सहित प्राक्कलन (विद्युत पारेषण लाईन हेतु)।

21-- क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/वचनबद्धता।

22-- क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक द्वारा सत्यापित Geo Refferenced Digital Map जो kml shp file में हों तथा सी0डी0 सहित।

23– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक द्वारा सत्यापित व चिन्हित 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र।

24– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण–पत्र।

25– प्रस्तावित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता।

26– प्रस्तावित वन भूमि के एन0पी0वी0 में संशोधन के उपरान्त बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता।

27– Eco Class के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना, जो प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।

28– भूमि स्वामित्व वाले विभाग (लो0नि0वि0) का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

29– भूमि स्वामित्व वाले विभाग (लो0नि0वि0) द्वारा ले आउट प्लान का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की गाइड लाइन दिनांक 24.07.2013 के अनुसार अनुमोदन (रिटेल आउटलेट हेतु)।

30– रिटेल आउटलेट जिस भूमि पर स्थापित किया जाना है, उस भूमि की मूल खतौनी सम्बन्धित अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित सहित।

31– भारत सरकार के पत्रांक एफ0न0–11–268/2014–एफ0सी0, दिनांक 11.07.2014 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर आख्या/प्रमाण–पत्र। (रिटेल आउटलेट हेतु)।

32– मुख्य वन्यजीव प्रतिलपालक की संस्तुति (वन्यजीव क्षेत्र के लिए)।

33– प्रमुख वन संरक्षक, लखनऊ के पत्रांक–1017/23 कोर्टकेस, दिनांक 11.11.2011 के अनुसार वन स्वरूप चिन्हित क्षेत्र इस प्रस्ताव में सम्मिलित न होने से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र।

34– वन अधिकार अधिनियम–2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 03.08.09 को निर्गत पत्र के अनुसार सम्बन्धित ग्राम सभाओं, उपजिला स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति से पारित मूल प्रस्ताव तथा निर्धारित प्रारूप में जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र एवं तिथि सहित हस्ताक्षरकर्ता का नाम अथवा भारत सरकार की गाइड लाइन दिनांक 28.10.2014 के नवीन दिशा निर्देशों के अनुरूप वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र।

35– पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

36– मार्ग चौड़ीकरण का स्टैण्डर्ड कास सेक्शन (Liner Plan) दिया जाए, जिसमें वर्तमान ROW तथा प्रस्तावित ROW की माप दर्शाया गया हो तथा तालिका स्वरूप में सड़क के किनारे पौधा रोपण के लिए जगह की उपलब्धता का विस्तृत विवरण।

37– गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक द्वारा चिन्हित व प्रमाणित छायाप्रति।

38– परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक का प्रमाण–पत्र।

39– मलवा उत्सर्जन का विवरण, इसका निस्तारण एवं Reclamation plan जो प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।

40– गैर वनभूमि पर किये जाने वाले मलवा निस्तारण के लिए भूमि स्वामित्व का सहमति पत्र।

41– क्रमानुसार अंकित, पृष्ठ संख्या के साथ पूर्ण पृष्ठ तालिका की सूची।

42– On line data entry का Acknowledgement slip/Timeline Detail

प्रस्ताव में आमतौर पर पायी जाने वाली कमियां/त्रुटियॉ

1. चेक लिस्ट का अधूरा भरा होना।
2. पृष्ठ तालिका न बना होना/अधूरा बना होना एवं पृष्ठ संख्या का न दिया होना।
3. प्रस्ताव में सही कम में पृष्ठ संख्या का न होना।
4. परियोजना के कार्यान्वियन के लिए सक्षम अधिकारी का अनुमोदन पत्र न लगा होना।
5. वांछित अनापत्ति प्रमाण पत्र का न लगा होना।
6. परियोजना के विभिन्न अवयवों के लिए वन भूमि की आवश्यकता तथा इन अवयवों का स्पष्ट रेखा चित्र एवं क्षेत्रफल की गणना के साथ न होना।
7. प्रस्तावित परियोजना का वन भूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य का न लगा होना।
8. विभिन्न पृष्ठों पर दी गयी सूचना/आकड़ों में भिन्नता।
9. प्रभागीय वनाधिकारी के स्थल निरिक्षण आख्या का अधूरा होना तथा अनुशंसा का अभाव होना एवं हस्ताक्षरकर्ता का नाम व तिथि का न दियां होना।
10. प्रस्ताव में संलग्न विभिन्न दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम व दिनांक का न होना।
11. वृक्षों के वैज्ञानिक नाम न दिया होना।
12. प्रस्ताव में शामिल सभी वन भूमि एवं गैर वन भूमि का विवरण (चेक लिस्ट नं0– 8 एवं 9) तथा बार–चार्ट का लगा हुआ न होना।
13. मलवा उत्सर्जन का विवरण, इसका निस्तारण तथा Reclamation plan का न होना या अधूरा होना या बिना प्रभागीय वनाधिकारी के स्वीकृति के होना।
14. सड़क चौड़ीकरण के मामले में सड़क की वर्तमान चौड़ाई एवं वर्तमान ROW, प्रस्तावित चौड़ाई एवं प्रस्तावित ROW तथा सड़क के किनारे पौधारोपण के लिए जगह की उपलब्धता का विस्तृत विवरण तालिका स्वरूप में न लगा होना।
15. संयुक्त निरिक्षण आख्या का अधूरा होना।
16. वैकल्पिक संरेखण/स्थल का टोपोशीट पर दर्शाया हुआ न होना।
17. पारेषण लाईन में आने वाले वृक्षों की गणना एवं पातन किये जाने वाले वृक्षों की अलग सूची का न होना।
18. 05/20 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि वाले प्रस्तावों में लागत–लाभ विश्लेषण निर्धारित प्रपत्र पर न होना।
19. छायाप्रति अपठनीय एवं बिना सत्यापन के होना।
20. पूरे प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वृक्षों एवं पातन किये जाने वाले वृक्षों के सारांश का न दिया होना।
21. वृक्षों की गणना सूची एवं उसके सार में भिन्नता।
22. वृक्षों की गणना सूची एवं सार का प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित न होना।
23. वन संरक्षण अधिनियम की अवहेलना की सूचना सही तरीके से नही भरा होना।
24. प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाइन का सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित न होना।
25. टोपोशीट की मूल प्रति या रंगीन छायाचित्र न होना।

26. प्रस्तावित स्थल को दर्शाते हुए तथा अक्षांश एवं देशान्तर दर्शाते हुए राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित डिजीटल मैप का लगा हुआ न होना।
27. पैट्रोल पम्प के मामले में राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण/लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित ले आउट प्लान (लंबाई चौड़ाई की गणना के साथ) न होना तथा इसमें दर्शायी गयी लम्बाई एवं चौड़ाई पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप न होना और प्रस्ताव का इन दोनों से मेल खाते हुए न होना।
28. वनाधिकार अधिनियम से संबंधित निर्धारित प्रमाण पत्र एवं अनुलग्नकों सहित न लगा होना तथा हस्ताक्षरकर्ता का नाम तिथि और मुहर लगा हुआ न होना।
29. नक्शे में शीर्षक तथा तालिका (index)का न होना।
30. गैर वन भूमि पर किये जाने वाले मलवा निस्तारण के लिए भूस्वामी का सहमति पत्र न लगा होना।
31. मलवा निस्तारण के लिए विस्तृत मलवा निस्तारण योजनाका न होना (मलवा निस्तारण योजना हेतु बिन्दुवार चाही गयी सूचनाओं की सारिणी संलग्न है)
32. उपलब्ध कराये गये मानचित्र में शीर्षक तथा संकेत तालिका (index) का न होना।
33. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की मूल प्रति को प्रस्तुत न करना।
34. रिटेल आउटलेट जिस भूमि पर स्थापित किया जाना है, उस भूमि की मूल खतौनी संबंधित अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करवाकर पठनीय प्रति प्रस्तुत करें।

<u>सैद्धान्तिक स्वीकृति में लगायी गयी शर्तो की अनुपालन आख्या में कमियां/त्रुटियॉ</u>

1. लगायी गयी सभी शर्तों की अनुपालना भेजने के बजाय अधूरी अनुपालना भेजना।
2. प्रस्ताव में दर्शायी गयी धनराशि एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालनार्थ जमा की गयी धनराशि में अन्तर होना।
3. सैद्धान्तिक स्वीकृति और अनुपालना की तिथि के बीच में लम्बा अन्तराल होने की स्थिति में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र लगा हुआ न होना।
4. कैम्पा में धनराशि प्रस्ताव में प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्तानुसार न जमा होना।
5. एक से अधिक प्रस्तावो से संबंधित धनराशि सम्मिलित रूप से कैम्पा में जमा किया जाना (जिसके फलस्वरूप कैम्पा नई दिल्ली में धनराशि जमा होने की पुष्टि होने में अनावश्यक विलम्ब होता है)
6. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तानुसार धनाराशि जमा करने हेतु आर0टी0जी0एस0/बैंक ड्राफ्ट का माध्यम न प्रयोग करना एवं आर0टी0जी0एस0/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से धनराशि जमा करने की स्थिति में आर0टी0जी0एस0/बैंक ड्राफ्ट का स्पष्ट एवं सही ब्यौरा न उपलब्ध न कराना।
7. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा कैम्पा फण्ड, नई दिल्ली में सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तानुसार जमा धनराशि पुष्टि हेतु निर्धारित प्रपत्र का न भरा जाना/त्रुटिपूर्ण भरा जाना।

Gmail

piu varanasi <nhaivns@gmail.com>

Complience from the Forest division Mirzapur

Naresh Kumar <nkumar1962@gmail.com> Tue, May 15, 2018 at 10:57 AM
To: piu varanasi <nhaivns@gmail.com>

No. : RITES/HW/NHAI/UP/NH-7/6860-30/2015/180527
Date: 15.05.2018

The Project Director
PIU, Varanasi, S-8/108,F-4
D.I.G. Colony, Maqbool Alam Road
National Highway Authority of India,
Veranasi-221 002
Tel: 0542-250 1003

Sub: Revision of cost and restructure of Varanasi-Hanumanha section of NH- 7 on EPC mode in the state of Uttar Pradesh

Ref: Your mail dated 19.02.2018 regarding discrepancy in forest proposal & DFO office letter 3583/Mirzapur/33 dated 12.02.2018

Dear Sir,

Reference to your email as above regarding discrepancy in forest proposal has been submitted to DFO Mirzapur are follows:-

1. This is the short narration of project road, but the diversion of forest land will be happen in package-2 & 3 (from Km 49.500 to Km 140.200) for which toposheet, Geo-referenced map and KML file are submitted.

2. The extra hard copy of the forest proposal submitted to DFO.

3. The JMS report with range officer and signed by DFO has available in the submitted hard copy to DFO office.

4. As per Amendment forest conservation act 1980 clarification: The provisions of the above guideline would be applicable only Central Sector projects and not on State Sector projects which are being undertaken by Central PSUs on turnkey basis, In such cases, Compensatory Afforestation on equivalent non-forest land/a certificate of Chief Secretary regarding non-availability of equivalent non-forest land anywhere in the State shall be insisted upon.

5. Not required as per Sl. 4

6. JMS copy of trees list submitted to DFO office, Mirzapur.

7. This has to be done by the DFO office as we have submitted the JMS copy of tree list to DFO office, Mirzapur.

8. The benefit by the project road will be all user surrounding the road development.

9. Submitted

10. Submitted

11. Approval from Environment department is not required as per published in Gazette of India Ministry of Environment and Forests Notification dated 22 August 2013.

12. As provide coordinate of 230 ha of protected forest land and 37 ha reserve forest land by the DFO office has been marked in Topo sheet and Geo reference map with soft copy of CD submitted to DFO office.

13. Undertaking certificate attached in hard copy.

14. Undertaking of NOC attached in the proposal file.

15. FRA certificate by the DM Mirzapur submitted.

16. The project has not required the NOC from Pollution Control Board as it is exempted from environmental clearance.

17. The linear diagram with existing ROW and proposed ROW submitted

18. Undertaking certificate attached for Muck Disposal Plan.

19. Undertaking certificate attached for Muck Disposal

20. The index page with page number is attached in the file.

It is requested to write the letter to DFO Mirzapur for compliance

Thanking you and assuring our best services as always.

Yours faithfully

Naresh Kumar
Sr.DGM

--
Regards,

नरेश कुमार
वरिष्ठ उप महा प्रबन्धक
राजमार्ग विभाग
राइट्स लिमिटेड (भारत सरकार का प्रतिष्ठान)
चौथा तल, राइट्स भवन, प्लॉट न 1, सैक्टर 29
गुरुग्राम, हरियाणा 122 001
फोन : +91 124 2818422; मोबाइल : 9999714002

Forest.docx
14K

O/C

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways Govt. of India)

परियोजना कार्यालय / Project Office

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, एस-8/108, एफ-4, डी.आई.जी. कालोनी, मकबूल आलम रोड, वाराणसी-221002 (उ0प्र0)

Project Implementation Unit S-8/108, F-4, D.I.G. Colony, Moqbool Alam Road, Varanasi-221002 (U.P.)

दूरभाष / Phone : 91-542-2501003

टेलीफैक्स / Fax : 91-542-2501002

ई-मेल / E-mail : var@nhai.org

वेबसाइट / Website : www.nhai.org

11015/1/ VNS/ NH-7(Forest)/ 2017-18/28501

Dated :09.02.2018

To,

Divisional Forest Officer,
Mirzapur

Sub: Submission of forest proposal(hard copy) of Varanasi to Hanumanha of NH-7 (package 2 & 3, Dagmagpur to Hanumanha, chainage Km. 49.100 to 140.200).

Sir,

The Forest proposal No. FP/UP/ROAD/30569/2017 for Varanasi-Hanumana Section of NH-7 has been uploaded on website on dated 05.01.2018. The proposal has been examined by the Nodal Officer, as per Forest (conservation) Act, 1980, Government of Uttar Pradesh and found in order. The Nodal officer has directed to submit the hard copy of said proposal in your office,

Therefore we are submitting the five set hard copy of forest proposal for your further necessary action please .

Encl: Five set hard copy of forest proposal

I/c Project Director